न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 214 सन 2019
अनवान :—

1. रामकुमार 2 मनोहर पि0 भुराराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नाथीदेवी 2 परमेश्वरी 3 गिरदावरी देवी 4 कुनणा 5. जिन्दादेवी 6 सुन्दर देवी पुत्रिया भूराराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 24/12/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा 5 बी बारानी हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता भूरा पुत्र जोधाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण के पिता भूरा पुत्र जोधाराम एवं उसकी पत्नि हुकमा पत्नि भुराराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ही है वादीगण के पिता भुराराम पुत्र जोधाराम के नाम से दर्ज भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादी की बहने है एवं भूराराम पुत्र जोधाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वादीगणके पिता भुराराम पुत्र जोधाराम के नाम से दर्ज के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता भुराराम पुत्र जोधाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है एवं उनकी पत्नि हुकमादेवी पत्नि भुराराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ही है जिनका वाद भूमि में बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,जो वादी की बहन है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों वादीगण के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व
नोहर

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 5 बी बारानी हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता भूरा पुत्र जोधाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण के पिता भूरा पुत्र जोधाराम एवं उसकी पत्नि हुकमा पत्नि भुराराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ही है वादीगण के पिता भुराराम पुत्र जोधाराम के नाम से दर्ज भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादी की बहने है एवं भूराराम पुत्र जोधाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 5 बी बारानी हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता भूरा पुत्र जोधाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता भूराराम पुत्र जोधाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है उनकी पत्नि हुकमा देवी पत्नि भुराराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो प्रस्तुत मृत्यू /वारिस प्रमाण पत्र से पूर्णत्या साबित है अर्थात वाद भूमि जो भुराराम पुत्र जोधाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,1 ता 6 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 बी बारानी के ,खाता संख्या 123/112 की कुल 0.8855हैक भूमि जो भूराराम पुत्र जोधाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है भूराराम पुत्र जोधाराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/12/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामकुमार 2 मनोहर पि0 भुराराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 नाथीदेवी 2 परमेश्वरी 3 गिरदावरी देवी 4 कुनणा 5. जिन्दादेवी 6 सुन्दर देवी पुत्रिया भूराराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 214 सन 2019 निर्णय दिनांक– 27/12/19

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 बी बारानी के ,खाता संख्या 123/112 की कुल 0.8855हैक भूमि जो भूराराम पुत्र जोधाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है भूराराम पुत्र जोधाराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/12/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)